न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम, जिला करौली

मु.नं.:– 27/2024 तारीख रजू :– 24.12.2024

पीठासीन अधिकारी :– पूजा मीना आर.ए.एस.

प्रेम देवी पत्नि स्व0 श्री हीरालाल आयु 57 साल जाति बैरवा निवासी खोहरा तहसील टोडाभीम, जिला गंगापुर सिटी (राज0)

वादीया

वनाम

1. राज्य सरकार जरिये जिला कलक्टर गंगापुर सिटी (राज0)
2. तहसीलदार टोडाभीम, जिला गंगापुर सिटी (राज0)

प्रतिवादीगण

दावा बाबत् इन्द्राज दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

उपस्थित :– 1 श्री नन्दराम बैरवा एडवोकेट वादीया

पैरोकार सरकार तहसीलदार टोडाभीम प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक– 18/08/2025

वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि खाता संख्या 601 में दर्ज खसरा नम्बर 2290 रकवा 0.65 है0, खाता संख्या 2277 रकवा 1.46 है0 स्थित ग्राम खोहरा तहसील टोडाभीम में है। जिसमें वादीया के मृतक पति हीरालाल 1/9 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है तथा शेष हिस्से के मुताबिक जमाबन्दी अन्य सहखातेदार काश्तकार है। तहसील कर्मचारियों ने गफलत व लापरवाही से वादीया के पति स्व0 हीरालाल पुत्र लोहडया राम के स्थान पर पिल्यो पुत्र लोहडया दर्ज कर दिया है जो गलत इन्द्राज है। वादीया के पति के समस्त सरकारी दस्तावेज जैसे मतदाता सूची, मृत्यु [illegible] आदि में हीरालाल पुत्र लोहडया राम नाम दर्ज जो बिल्कुल सही है तथा वादीया के समस्त दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, मतदाता सूची आदि में वादीया के पति का

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.10.27 14:43:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं प्रदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

नाम हीरालाल दर्ज है पूरी तरह से सही एवं सत्य है। वादीया के पति हीरालाल पुत्र लोहडयाराम का दिनांक 13.05.2022 को देहान्त हो गया है जिनसे अपने पीछे वादीया प्रेमदेवी को छोडा है जो उसके तर्के पर काबिज व दखील है एवं कायम मुकाम कानूनी वारिस है।

दिनांक 20.12.2024 को वादीया अपने विरासत का नामान्तकरण खुलवाने के लिये जमाबन्दी निकलवाई तथा हल्का पटवारी के पास नामान्तकरण खुलवाने के लिये गयी तब जाकर वादीया को उक्त गलत इन्द्राज का पता चला। तहसीलदार टोडाभीम से राजस्व रिकार्ड में गलत इन्द्राज को दुरूस्त करने हेतु निवेदन करने पर उक्त गलत इन्द्राज को दुरूस्त करने से मना कर दिया और वादीया से न्यायालय में कार्यवाही करने को कहा इसलिये वाद न्यायालय में पेश निवेदन है कि दावा वादी इन्द्राज दुरूस्ती डिक्री किया जाकर हाल राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी ग्राम खोहरा में स्थित आराजीयात खाता संख्या 601 में दर्ज खसरा नम्बर 2290 रकवा 0.65 है0, खाता संख्या 2277 रकवा 1.46 है0 में पिल्यो पुत्र लोहडया को हजफ किया जाकर उसके स्थान पर हीरालाल पुत्र लोहडया राम दर्ज किया जावे तथा इसी अनुरूप समस्त राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अमल दरामद किया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया है प्रतिवादीगण की ओर से पैरोकार उपस्थित हुये, पैराकार सरकार की ओर से जबाव प्रस्तुत किया कि तहसीलदार टोडाभीम की रिपोर्ट में अंकित किया है कि वाद पत्र में वर्णित भूमि I खाता संख्या 601 में दर्ज खसरा नम्बर 2290 रकवा 0.65 है0 में हिस्स 1/9 एवं खाता संख्या 2277 रकवा 1.46 है0 में हिस्सा 1/9 पिल्यो पुत्र लोहडया जाति बैरवा के नाम दर्ज रिकार्ड है। मुताबिक मिला क्षेत्रफल ख0नं02290 रकवा 0.65 है0, 2277 रकवा 1.46 है0 साबिक ख0नं0 1607 रकवा 02 बीघा 11 विस्वा एवं 1603 रकवा 05 बीघा 16 विस्वा से बने है। संलग्न दस्तावेज (जन आधार कार्ड, पेनकार्ड, आधार कार्ड) एवं फर्द मौका रिपार्ट अनुसार पिल्यो पुत्र लोहडया एवं हीरालाल पुत्र लोहडया जाति बैरवा एक ही व्यक्ति के नाम है पिल्यो ग्राम में बोलता नाम है। अतः पिल्यो लोहडया के [illegible] हीरालाल पुत्र लोहडया किया जाना उचित है। मैने अधिवक्तागण की बहस [illegible] अधिवक्ता वादी अधिवक्ता द्वारा अपने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादीया के पति का नाम हीरालाल है लेकिन रेवेन्यू रिकोर्ड [illegible] हो गया है जबकि मेरे

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.10.27 14:43:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

समस्त दस्तावेजो मे मेरे पति का नाम हीरालाल है मैने दस्तावेजो मे आधार कार्ड, पैनकार्ड, पहचान पत्र आदि के दस्तावेज पेश किये पैरोकार तहसीलदार द्वारा अपने जबाब के कथनो का दोहराते हुए कथन किया कि उक्त आराजी में वादी के पति का नाम पिल्यो पुत्र लोहडया है।

मैने वादी वकील व पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। जमावंदी ग्राम खोहरा खाता संख्या 601 में दर्ज खसरा नम्बर 2290 रकवा 0.65 है0, खाता संख्या 2277 रकवा 1.46 है0 स्थित ग्राम खोहरा तहसील टोडाभीम में वादी के पति नाम पिल्यो पुत्र लोहडया दर्ज है। ग्राम में हीरालाल पुत्र लोहडयाराम को पिल्यो पुत्र लोहडया जाति बैरवा एक ही व्यक्ति के नाम है। पिल्यो ग्राम का बोलता नाम है। उक्त दस्तावेजों तथा तहसीलदार टोडाभीम की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः ग्राम खोहरा तहसील टोडाभीम की आराजीयात खाता संख्या 601 में दर्ज खसरा नम्बर 2290 रकवा 0.65 है0, खाता संख्या 2277 रकवा 1.46 है0 में वादी के पति का नाम पिल्यो पुत्र लोहडया को हजफ कर हीरालाल पुत्र लोहडया अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते है। जमावंदी में दर्ज हिस्सा यथावत रहेगा। तहसीलदार टोडाभीम उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्त करे।

यह निर्णय दिनांक 18/08/2025 को खुले न्यायालय में

लिखाया जाकर सुनाया गया

(पूजा मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.10.27 14:43:29 IST
Reason: SelfAttested